

स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (मध्य प्रदेश)

(192, एवीएन टावर, मेजनाइन फ्लोर, जोन -1 एमपी नगर, भोपाल, फोन नम्बर- 0755-4001680)

E_mail:- spdmpwb@gmail.com

क्रमांक 548 /वि.बैं.परि./2020

दिनांक 22/05/2020

प्रति,

अधीक्षण यंत्री,
राजधानी परियोजना प्रशासन,
भोपाल (म.प्र.) |

विषय :- विश्व बैंक परियोजना (MPHEQIP) के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति बाबत |

सन्दर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्र973/23/रूसा/सी.सी./19/38 दिनांक 28/11/2019|

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुक्रम में विश्व बैंक पोषित "उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना" (MPHEQIP) के अंतर्गत निम्न महाविद्यालयों में किये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु संबंधित महाविद्यालयों के द्वारा अनुशंसित डी.पी.आर. तकनीकी स्वीकृति सहित आपके द्वारा प्राप्त हुई है | डी.पी.आर. में उल्लेखित नवीन निर्माण कार्य, उन्नयन कार्य एवं बैरियर फ्री निर्माण कार्य करने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है -

S.N.	Code	Division	District	College Name	Construction Agencies	DPR Amount (including New construction + Renovation + Barrier free design work)	Total Sanction amount (including 3% Consultancy Charges & GST as applicable)
1	2804	Bhopal	Bhopal	Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal	CPA	77100007	76842598.37
2	2807	Bhopal	Bhopal	Govt. Dr. Shyama Prasad Mukherji Science & Commerce PG College, Bhopal	CPA	82966280	82282837
3	2808	Bhopal	Bhopal	Govt. Arts & Commerce (Naveen) College	CPA	85959870	83475455
Total Amount						246026157	242600890.4

शर्तें :-

1. मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. निर्माण कार्य के दौरान विश्व बैंक परियोजना की गाईडलाइन अनुसार एनवायरमेंट एवं सोशल फ्रेमवर्क का विशेष ध्यान रखा जावे।
4. निर्माण कार्य की गुणवत्ता के मापदंड B.I.S. भूमि विकास अधिनियम, C.P.W.D., N.B.C., I.R.C. आदि का विशेष ध्यान रखा जावे।
5. निर्माण कार्य पूर्ण कर महाविद्यालय को भवन के हस्तांतरण की कार्यवाही अधिकतम माह अप्रैल -2021 तक किया जावे।
6. निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के उपरांत प्रति पाक्षिक प्रतिवेदन भौतिक एवं फाईनेशियल की अद्यतन स्थिति संबंधित महाविद्यालय तथा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जावे।
7. निर्माण कार्य की स्थिति अथवा किसी कार्य/ कारण अनुसार यदि आयटम में परिवर्तन होता है तो निर्माण पूर्व उसकी अनुमति राज्य परियोजना संचालनालय, उच्च शिक्षा विभाग से अनिवार्य रूप से ली जाये।
8. निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा आदि नियमों का पालन किया जावे।
9. उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।
10. किसी भी प्रकार की अनियमितता, व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की होगी।
11. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस कार्यालय की टेक्निकल टीम द्वारा किये गए परीक्षण में DPR में हुए संशोधन की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(मुकेश कुमार शुक्ल)

आयुक्त सह परियोजना संचालक
उच्च शिक्षा विभाग (म.प्र.)
दिनांक 22/05/2020

पृ. क्रमांक 549 /वि.बैं.परि./2020

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (म.प्र.)।
3. कलेक्टर, संबंधित जिला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, उच्च शिक्षा विभाग।
5. अपर संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा विभाग (म.प्र.)।
6. महालेखाकार, ग्वालियर (म.प्र.)।
7. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. वित्त नियंत्रक, रूसा/ विश्व बैंक परियोजना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त सह परियोजना संचालक
उच्च शिक्षा विभाग (म.प्र.)